



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072022-237248
CG-DL-E-12072022-237248

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3013]
No. 3013]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2022/आषाढ़ 20, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2022/ASHADHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2022

का.आ. 3169(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH56 के किमी. 179.7 से किमी. 208.3 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH56 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रान्त आफिसर, झगड़िया	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	गुजरात	भरुच	नेत्रंग	1 खराटा

राजेश गुप्ता, निदेशक

179.7 to Km. 208.3 of the NH56 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of GUJARAT.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH56 in the State of GUJARAT.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Prant Officer, Jhagadia	179.7KM To 208.3KM	GUJARAT	BHARUCH	Netrang	1	Kharata
						2	Dholekham
						3	Timla
						4	Fokdi
						5	Kantipada
						6	Netrang
						7	Kelvikuva
						8	Kambodiya
						9	Chaswad
						10	Zarna
						11	Kamliya
						12	Jharnawadi
						13	Mauza
						14	Movi
						15	Vandarveli
						16	Kochbar
						17	Debar
						18	Kawachia

[F. No. Bodeli-Vapi-2022]

RAJESH GUPTA, Director